(x) The Forest Department of the Government of Uttar Pradesh has created a green belt around Taj Mahal by plantation of trees on available Government land.

(xi) The Ministry of Environment and Forests, Government of India is evolving guide lines to determine measures for abatement of pollution and if necessary re-define the co- ordinates of Taj TRAPEZIUM.

(xii) The Social Forestry Division has taken steps to plant trees in an area of 50 Hectares around the Taj Mahal, Agra.

(xiii) The State Government has also taken steps for planting of trees in an area of 10 Hectares around Foundry Nagar and Industrial area, 12 Hectares in UPSIDC area and 5 Hectares in the Cantonment area.

(xiv) Under Public Interest Litigation No. 13381/84 in the Hon'ble Supreme Court, 511 industries besides M/s Mathura Refinery, Mathura were identified. Out of these, 406 industries have installed anti pollution control systems.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

3311. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्वरूप देने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भावी योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंध में एक समिति द्वारा निर्धारित योजनेतर व्यय का चालू स्तर प्राप्त कर लिया है। समिति ने विश्वविद्यालय के लिये योजनेतर निधियों की आवश्यकता पर कुछ टिप्पणियां दी हैं। समिति की टिप्पणियां उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेज दी गई हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। उत्तर प्रदेश सरकार के विचार प्राप्त होने पर इस मामले में कोई उचित निर्णय लिया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक-आयुक्त

3312. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 608 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-93 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सहायक आयुक्त का कोई पद विज्ञापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पद के लिए कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था;

(ग) यदि हां, तो क्या उस पद पर अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के एक उम्मीदवार को नियुक्त किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 1989 के का.ज्ञा. सं. 36012/6/88-स्था. (अ.जा.) के निर्देशों का उल्लंघन होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि सहायक आयुक्त के चार पद-दो साधारण कोटि के, एक अनुसूचित जातियों, और एक अनुसूचित जन जातियों के अक्तूबर, 1992 के दौरान विज्ञापित किए गए थे। क्योंकि अनुसूचित जनजाति का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, अत: अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद का पुन: विज्ञापन अब 18 जून, 1994 को दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति पर कोई साधारण उम्मीदवार नियुक्त नहीं किया गया है।

Facilities during coaching training programmes

3313. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has obtained details of infrastructural facilities and complimentary comforts given to the trainees in the champion producing foreign countries during their coaching/training programmes;

(b) whether the Indian training/coaching

centres are equipped with such facilities, if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to have such facilities at the Olympic as well as National games locations and to utilise these locations for conducting coaching camps?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOUCE DEVELOPMENT (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) The Sports Authority of Inida Centres at Bangalore and Patiala have been fully equipped, while facilities at other Centres of Sports Authority of India are being upgraded.

(c) Yes, Sir.

अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी के साथ किया गया अन्याय

3314. **श्री कामेश्वर पासवान:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 27 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4494 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजाति के एक संयुक्त सचिव जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर कार्यरत थे, को निलंबित कर दिया गया और उस पद को अनारक्षित घोषित करके विज्ञापित किया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि तत्कालीन संयुक्त सचिव की कार्यकुशलता के कारण बोर्ड की पूरक परीक्षा के परिणाम 10 दिन पहले ही घोषित कर दिये गये और इसकी प्रशंसा 20 जून, 1988 को विभागीय अध्यक्षों की बैठक में भी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो आरक्षित वर्ग के अधिकारी को हटाकर अनारक्षित श्रेणी से अन्य अधिकारी नियुक्त करने का क्या कारण था; और

(घ) अनुसूचित जनजाति के पदच्युत संयुक्त सचिव की अकुशलता क्या थी जबकि उसकी कार्यकुशलता की काफी प्रशंसा की गई थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड में अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के संयुक्त सचिव की सेवाएं बोर्ड द्वारा समाप्त की गई। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि संयुक्त सचिव के पद को अनारक्षित घोषित करके इसे विज्ञापित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि 20.6.1988 को आयोजित बोर्ड के विभागाध्यक्षों की बैठक में संबंधित संयुक्त सचिव की दक्षता के बारे में सराहना नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि सम्बन्धित संयुक्त सचिव की सेवाएं समाप्त करने के बारे में बोर्ड द्वारा निर्णय, उनके अक्षम और असंतोषप्रद कार्य-निष्पादन के कारण लिया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ

3315. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 611 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "मुख्य संशोधन" किस तिथि को और किस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया गया;

(ख) क्या स्नातकोत्तर शिक्षकों के मामले में प्रभागीय अधिकारी 'नियुक्ति प्राधिकारी' नहीं होता;

(ग) क्या वह अधिकारी या प्राधिकारी जिन्होंने यह 'मुख्य संशोधन' किया, इसके लिए सक्षम थे, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि नियुक्ति की गई उप समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन की तारीख से केवल निम्नलिखित के संबंध में संशोधन किए गए थे:

(I) स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा उससे उपर की नियुक्तियों वाले स्टाफ की आवधिक पद-स्थापना पर ही केवल अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है, जबकि इससे नीचे के स्टाफ की भर्ती साधारणतया उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय रूप से की जाती है।

(II) वर्ष 1984 में विशेष भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए स्टाफ को, केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, विशेष कार्य भत्ता नहीं दिया गया था।